

प्रेषक,

उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग एवं निर्यात
प्रोत्साहन केन्द्र, बरेली

सेवा में,

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी,
बरेली

पत्रांक : 372 / जि0उ0के0 / पी0एम0ई0जी0पी0 / 2016-17 दिनांक 31-5-16

महोदय,

कृपया जिलाधिकारी, बरेली के पत्र सं0 707/मा0स0वौ0/2016-17 दिनांक 25.05.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विभाग द्वारा संचालित लाभार्थीपरक कार्यक्रम/योजनाओं के सम्बन्ध में सूचना चाही गयी है।

उक्त अनुक्रम में वॉछित सूचना निम्नवत् प्रेषित की जा रही है।

क्रम सं0	योजना/ कार्यक्रम का नाम	लाभार्थियों को प्रदत्त सुविधा सामग्री/अनुदान धनराशि	योजना की पात्रता हेतु शर्तें	योजना हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया	योजना में लाभान्वित कराने हेतु सक्षम अधिकारी का पदनाम	अभ्युक्ति
1-	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना	1- समान्य जाति के पुरुष को शहर में 15 प्रतिशत तथा गाँव में 25 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है। 2- उक्त को छोड़कर अन्य को शहर में 25 प्रतिशत एवं ग्रामिण क्षेत्र में 25 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।	कम से कम कक्षा-8 उत्तीर्ण तथा आयु 18 वर्ष से अधिक हो	योजना प्राप्त होने पर पर्याप्त प्रचार-प्रसार फिल्ड स्टाफ/समाचार पत्रों के माध्यम से अवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त आवेदन पत्रों की संवीक्षा उपरान्त अभ्यार्थियों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा किया जाता है तदोपरान्त चयनित आवेदन पत्रों को सम्बन्धित बैंको को स्वीकृत/वितरण हेतु भेजा जाता है।	उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग केन्द्र, बरेली	चतुर्वितीय वर्ष हेतु अभी लक्ष्य प्राप्त नहीं हुये है।

Handwritten signature

भवदीय

उपायुक्त उद्योग,
जिला उद्योग एवं उद्यम
प्रोत्साहन केन्द्र, बरेली

Handwritten signature